भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3225
बुधवार, 9 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

वर्तमान आर्कटिक नीति

†3225. श्री मनीश तिवारी:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक रहते हुए मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और आर्कटिक परिषद के सदस्य होने की अपनी भूमिका से इतर भागीदारी और बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार आर्कटिक क्षेत्र में रूस और नाटो के बीच भू-राजनीतिक संघर्ष की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो रूस- युक्रेन युद्ध के बाद यह स्थिति किस तरह से बदल गई है;

(ग) क्या सरकार रूस-युक्रेन युद्ध के बाद रूस और नाटो के बीच भू- राजनीतिक संघर्ष के मद्देनजर अपनी मौजूदा आर्कटिक नीति को बदलने पर विचार कर रही और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 के समान एक नए कानून की आवश्यकता के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

उत्तर
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) अपने स्वायत्तशासी संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (NCPOR) के माध्यम से वर्ष 2008 से एनवाई-एलेसुंड, स्वालबार्ड में 'हिमाद्री' नामक एक अनुसंधान केन्द्र संचालित कर रहा है, जहां जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की अनुसंधान गतिविधियां की जाती हैं। भारत ने वर्ष 2007 में अपना समर्पित आर्कटिक अनुसंधान आरम्भ किया, तथा प्रत्येक वर्ष आर्कटिक में बहु-संस्थागत अभियान भेजता है। भारत के अनुसंधान में वायुमण्डलीय, जैविक, समुद्री, जल विज्ञानीय एवं हिमनद विज्ञानीय अध्ययन शामिल हैं। समुद्र विज्ञानीय सेटअप में आर्कटिक फियॉर्ड में होने वाले परिवर्तनों तथा जैवभूरासायनिक प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग की जाती है। एरोसॉल गुणों, ब्लैक कार्बन तथा आर्कटिक में वर्षा का मापन किया जाता है। आर्कटिक के मास बैलेंस को समझने तथा आर्कटिक हिमांकमण्डल में जलवायु के लिए सुसंगत प्राकृतिक एवं मानजवित यौगिकों एवं प्रक्रियाओं की पहचान एवं परिमाणन करने के लिए अध्ययन किए जाते हैं। NCPOR ने कैम्ब्रिज बे में कैनेडियन हाई आर्कटिक रिसर्च स्टेशन में अनुसंधान इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए पोलर नॉलेज कनाडा के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

(ख) जी हां। भारत, आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक राज्य है, तथा आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित मामलों पर सभी आर्कटिक राज्यों के साथ कार्य कर रहा है। वर्ष 2021-23 के दौरान रूस आर्कटिक काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा था। रूस-यूक्रेन टकराव के कारण होने वाले भूराजनैतिक तनावों के चलते, आर्कटिक परिषद जो कि आर्कटिक क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरगर्वनमेंटल फोरम है, की बैठक नियमित रूप से नहीं की गई है।

(ग) मौजूदा आर्कटिक पॉलिसी को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आर्कटिक क्षेत्र में एक भारतीय कानून व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में फैला हुआ है जो आठ आर्कटिक राज्यों के लिए सार्वभौमिक है।

*****